संख्या-290/2020/1244/22-2-2018-17(110)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2020***

विषय: आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी खलक सिंह पुत्र श्री राधाचरन, निवासी जनपद-महोबा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25473/ प्रोबे0अनु0(2)-199/सला0समिति/(एम0-09-07-2018) दिनांक-17-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी खलक सिंह पुत्र श्री राधाचरन, ग्राम-रिछा, थाना-पनवाड़ी, जनपद-महोबा का रहने वाला है। जानवर बांधने के विवाद के कारण दिनांक 03-08-1994 को सायं लगभग 06:00 बजे बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी तथा तमंचा से 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-13/1995 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302,149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, महोबा के आदेश दिनांक 02.11.1998 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.05.2018 तक 22 वर्ष 11 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष 06 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी समयपूर्व रिहाई से पुन: हत्या जैसे संगीन अपराधों की घटना घटित करने, पुन: अपराध कारित करने में पूर्ण सशक्त होने, पुन: अपराध की घटना रोकने हेतु जेल में निरूद्ध रखना आवश्यक होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अभिमत के अनुसार 03 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या किये जाने के कारण अपराधी खलक सिंह पुत्र श्री राधाचरन को समयपूर्व रिहाई किया जाना उचित नहीं प्रतीत होता है। सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी की आयु 43 वर्ष 09 माह है। बंदी संगीन अपराध कारित करने में सशक्त है, बन्दी के जान माल की सुरक्षा हेतु तथा पुन: अपराध की घटना रोकने हेतु जेल में निरूद्ध रखने, सामाजिक आर्थिक दशा में बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता आदि के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी खलक सिंह पुत्र श्री राधाचरन को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी खलक सिंह (बन्दी संख्या-14588) पुत्र श्री राधाचरन, निवासी जनपद-महोबा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-290/2020/1244(1)/22-2-2018 तद्दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।